प्रेस नोट दिनांक 03.07.2026

थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

दुष्कर्म के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना कुण्डा पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त मो0 अशरफ उर्फ धोनी को थाना क्षेत्रान्तर्गत लालचन्द्र आरा मशीन ग्राम शहाबपुर के पास से गिरफ्तार किया गया-

प्रतापगढ़।
थाना कुंडा क्षेत्रांतर्गत ग्राम नया का पुरवा सुजौली निवासी वादी की तहरीर के आधार पर उनकी माता के साथ सामूहिक दुष्कर्म किए जाने तथा जान से मारने की धमकी देने के संबंध में थाना कुंडा पर मु0अ0सं0 231/2026, धारा 70(1)/351(3) बीएनएस एवं 3(2)(v), 3(2)(va) एससी/एसटी एक्ट बनाम 1. मो0 अशरफ उर्फ धोनी पुत्र जियाउद्दीन, 2. रिजवान पुत्र मोईनउद्दीन एवं 3. हसन पुत्र फहीम खान, निवासीगण ग्राम नया का पुरवा सुजौली, थाना कुंडा, जनपद प्रतापगढ़ के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री शिवनारायण वैस के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कुण्डा श्री मनोज कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में उ0नि0 मो0 युनुस मय हमराह रि0का0 विवेक कुमार गौतम व रि0का0शेखर कुमार व म0का0 अनुराधा सिंह व म0का0 श्वेता राय मय चालक का0 कमलेश द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वाछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा-70(1)/351 (3) बीएनएस व 3 (2) व 3(2)va SC/ST एक्ट थाना कुंडा जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त मो0 अशरफ उर्फ धोनी पुत्र जियाउद्दीन उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम नया का पुरवा सुजौली थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ को थाना कुण्डा क्षेत्रान्तर्गत लालचन्द्र आरा मशीन ग्राम शहाबपुर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. मो0 अशरफ उर्फ धोनी पुत्र जियाउद्दीन उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम नया का पुरवा सुजौली थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-
उ0नि0 मो0 युनुस मय हमराह रि0का0 विवेक कुमार गौतम व रि0का0शेखर कुमार व म0का0 अनुराधा सिंह व म0का0 श्वेता राय मय चालक का0 कमलेश थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।

जनपद प्रतापगढ़

👉 प्रतापगढ़ पुलिस की बड़ी सफलता—CEIR पोर्टल के माध्यम से 407 गुम मोबाइल फोन बरामद, स्वामियों को सुपुर्द किए गए।

तकनीक का सफल प्रयोग: 407 परिवारों के चेहरे पर लौटी मुस्कान
पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर एवं अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री आलोक कुमार के कुशल निर्देशन में, जनपद की सर्विलांस टीम एवं समस्त थानों की साइबर टीमों द्वारा गुम/खोए हुए मोबाइल फोन की बरामदगी हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। तकनीकी सहायता और CEIR (Central

Equipment Identity Register) पोर्टल का प्रभावी उपयोग करते हुए, पुलिस टीम ने कुल 407 मल्टीमीडिया मोबाइल फोन बरामद किए हैं। बरामद मोबाइलों की अनुमानित बाजार कीमत लगभग ₹61,05,000/- (इकसठ लाख पांच हजार रुपये) है।

स्वामियों को मोबाइल का हस्तांतरण

आज दिनांक 03.07.2026 को पुलिस लाइन प्रतापगढ़ स्थित साईं कॉम्प्लेक्स में एक गरिमामयी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक श्री दीपक भूकर एवं अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री आलोक कुमार भाटी द्वारा बरामद मोबाइल फोन उनके वास्तविक स्वामियों को सुपुर्द किए गए। अपने खोए हुए कीमती उपकरण वापस पाकर लाभार्थियों ने प्रतापगढ़ पुलिस की संवेदनशीलता, त्वरित कार्यवाही और तकनीकी दक्षता की भूरि-भूरि प्रशंसा की।

पुलिस अधीक्षक की अपील एवं जन-जागरूकता

इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि मोबाइल चोरी या गुम होने पर घबराने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने निम्न दिशा-निर्देश दिए:

त्वरित रिपोर्ट: मोबाइल गुम होने की स्थिति में तत्काल संबंधित थाना अथवा www.ceir.gov.in पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं।

सक्रियता: थाना स्तर पर शिकायत दर्ज कराने के उपरांत पुलिस से 'IMEI ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट ID' अवश्य प्राप्त करें।

संचार साथी ऐप: आमजन 'संचार साथी' (Sanchar Saathi) एप्लीकेशन का उपयोग करें। इस पर IMEI ब्लॉकिंग के साथ-साथ धोखाधड़ी वाली कॉल्स की रिपोर्टिंग और अपने नाम पर पंजीकृत मोबाइल कनेक्शनों की जानकारी जैसे महत्वपूर्ण फीचर्स उपलब्ध हैं।

मोबाइल बरामदगी हेतु गठित पुलिस टीम का विवरण-

यह सफल अभियान उ0नि0 अजित सिंह (प्रभारी सर्विलांस टीम) के नेतृत्व में संचालित किया गया। इसमें शामिल अन्य सदस्य इस प्रकार हैं:

सर्विलांस टीम: आ0 सुर्य प्रताप सिंह।

थानावार सम्मिलित पुलिसकर्मी:

क० आ० राजकुमार (थाना को0 नगर), आ0 दीपक कुमार (थाना को0 देहात), आ0 विनित (थाना अन्तु), आ0 अमनदीप सिंह (थाना कोहण्डौर), आ0 अजय कुमार (थाना पट्टी), आ0 रविन्द्र (थाना कंधई), हे0का0 विभुति शंकर त्यागी (थाना आ0 देवसरा), आ0 ध्यानेन्द्र जाट (थाना दिलीपपुर), क0आ0 आनन्द कुमार (थाना रानीगंज), आ0 पुष्पदीप (थाना देल्हूपुर), आ0 आशुतोष यादव (थाना मान्धाता), क0आ0 आदर्श सिंह (थाना फतनपुर), आ0 आलोक कुमार (थाना महेशगंज), हे0का0 मदन कुमार यादव (थाना बाघराय), क0आ0 विवेक रावत (थाना जेठवारा), क०आ० ज्ञान प्रकाश सिंह (थाना लालगंज), आ0 हरवेन्द्र सिंह (थाना संग्रामगढ़), क० आ० अभिनव कुमार वर्मा (थाना सांगीपुर), आ0 मानवेन्द्र (थाना उदयपुर), आ0 अभिषेक यादव (थाना लीलापुर), आ0 गजानन्द यादव (थाना कुण्डा), आ0 मयंक गौंड (थाना नवाबगंज), म0आ0 स्मिता सचान (थाना हथिगवा), हे0का0 श्यामशेर (थाना मानिकपुर)।

साथ ही, जनपद के समस्त थानों की साइबर सेल टीम का इसमें पूर्ण सहयोग रहा।

आमजन हेतु पुलिस की विशेष अपील

प्रतापगढ़ पुलिस की सर्विलांस सेल आप सभी से निम्नलिखित सावधानियां बरतने की अपील करती है:

तत्काल सूचना: यदि आपका मोबाइल फोन चोरी हो जाए या कहीं खो जाए, तो समय व्यर्थ न करें। सबसे पहले अपने मोबाइल से संबंधित सिम कार्ड को ब्लॉक करवाएं ताकि उसका गलत इस्तेमाल न हो सके। साथ ही, अपने बैंक खातों की सुरक्षा हेतु संबंधित बैंक को तुरंत सूचित करें।

IMEI ब्लॉक करना: आम नागरिक स्वयं भी CEIR पोर्टल अथवा 'संचार साथी' (Sanchar Saathi) एप्लिकेशन के माध्यम से अपने मोबाइल का IMEI नंबर ब्लॉक करवा सकते हैं। यह कदम मोबाइल के अनधिकृत उपयोग को रोकने के लिए अत्यंत आवश्यक है।
थाना स्तर पर सहायता: यदि आप थाने में शिकायत दर्ज कराते हैं, तो पुलिस से 'IMEI ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट ID' अवश्य प्राप्त करें। यह इस बात का प्रमाण होगा कि आपके फोन की IMEI ब्लॉक करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
तकनीकी सुरक्षा: 'संचार साथी' ऐप पर आप यह भी जांच सकते हैं कि आपके नाम पर कितने मोबाइल कनेक्शन चल रहे हैं, संदिग्ध कॉल्स की रिपोर्ट कर सकते हैं और अपने मोबाइल की वास्तविकता की जांच भी कर सकते हैं।

याद रखें: मोबाइल बरामदगी में सफलता तभी संभव है जब पीड़ित द्वारा इसकी सूचना त्वरित दी जाए और CEIR पोर्टल पर IMEI ब्लॉकिंग की प्रक्रिया पूर्ण की जाए।

थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना उदयपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना उदयपुर के उ0नि0 ओम प्रकाश सिंह मय हमराह रि0का0 पंकज कुमार द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय कोर्ट नम्बर 13 जनपद प्रतापगढ द्वारा ओल्ड क्रिमिनल केस 171514/2010 सम्बन्धित मु0अ0सं0 21/2010 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ सम्बन्धित 01 वारंटी अभियुक्त बीरेन्द्र सिंह पुत्र चन्दभान सिंह निवासी ग्राम पूरे शिववंश मजरे खानीपुर थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 35 वर्ष थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ को अभियुक्त की दुकान कनक मोबाइल शाप मंगापुर थाना उदयपुर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. बीरेन्द्र सिंह पुत्र चन्दभान सिंह निवासी ग्राम पूरे शिववंश मजरे खानीपुर थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ उम करीब 35 वर्ष
पुलिस टीम थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़-
उ0नि0 ओम प्रकाश सिंह मय हमराह रि0का0 पंकज कुमार

थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।

प्रतापगढ़ पुलिस की बड़ी सफलता: पशु चोरी की घटनाओं का खुलासा, गैंग के 03 सदस्य गिरफ्तार, चोरी की भैंस, पड़वा, अवैध तमन्चा - कारतूस एवं घटना में प्रयुक्त पिकअप बरामद

पुलिस अधीक्षक श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना बाघराय पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस टीम ने क्षेत्र में सक्रिय पशु चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए तीन शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है।

प्रतापगढ़।
दिनांक 09/05/2026 की मध्य रात्रि वादी निवासी ग्राम सभा मलावा छजईपुर के घर के सामने बंधी भैंस तथा लगभग 8 माह आयु की पाड़िया को कोई अज्ञात व्यक्ति चोरी कर ले गया। काफी खोजबीन के बावजूद दोनों पशुओं का कोई पता

नहीं चल सका। इस संबंध में थाना बाघराय में मु0अ0सं0 115/2026 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया था।

वादी निवासी ग्राम कोडराजीत, थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़ भोजन करने के उपरांत घर के बगल स्थित जानवरों के टीनशेड के पास सो गया था। रात्रि में भैंस के चिल्लाने की आवाज सुनकर आंख खुली तो देखा कि एक भैंस एवं एक पड़वा खूँटे पर बंधे नहीं थे। परिजनों के साथ आसपास काफी खोजबीन की गई, किन्तु उनका कोई पता नहीं चल सका। किसी अज्ञात चोर द्वारा भैंस (रंग काला, मुड़ी हुई सींग, लगभग 7 माह की गाभिन) तथा पड़वा (रंग काला, छोटी सींग, उम्र लगभग 2 वर्ष) चोरी कर लिया गया। इस संबंध में थाना बाघराय पर मु0अ0सं0 161/2026, धारा 303(2) बीएनएस, बनाम अज्ञात, का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी बाघराय श्री श्रवण कुमार के नेतृत्व में उ0नि0 विकास प्रधान व उ0नि0 दिनेश कुमार मय हमराह का0 राकेश राय व का0 रोहित राम द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वांछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 161/2026, धारा 303(2) बीएनएस से संबंधित 03 अभियुक्तों, 01. नागेन्द्र सरोज पुत्र धर्मेंद्र सरोज निवासी ग्राम कजियाना देवरपट्टी थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 23 वर्ष, 02. राहुल कुमार पुत्र राजू कुमार निवासी शिवनी का पुरवा, बिहार थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 22 वर्ष, 03. गुलशन कुमार सरोज पुत्र वंशीलाल सरोज निवासी फूलपुर देवरपट्टी थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 21 वर्ष को थाना क्षेत्रान्तर्गत राम वन गमन मार्ग बिहार बाईपास के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तगण के कब्जे से चोरी की गई एक भैंस एवं एक पड़वा बरामद किया गया। उक्त बरामदगी के आधार पर संबंधित अभियोगों में धारा 317(2) भारतीय न्याय संहिता (BNS) की बढ़ोत्तरी की गई है तथा 01 अदद तमंचा नाजायज 315 बोर व 01 कारतूस 315 बोर की बरामदगी के संबंध में उपरोक्त अभियोग में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गई है। घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 एमवी एक्ट के अंतर्गत सीज कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई है।

पूछताछ का विवरण-
अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि उपरोक्त भैंस व पडवा हम तीनों लोगो ने दिनांक 01/07/2026 को रात्रि दो बजे ग्राम कोडराजीत प्रतापगढ में घर के पीछे बनी चरही से धीरे से पगहा खोलकर करीब आधा किमी0 दूर रोड किनारे ले गये जहां पर पहले से उक्त पिकप को ढाल पर खड़ा किये थे, में लोड कर नागेन्द्र सरोज के घर के पास सुनसान झाडी में ले जाकर छिपा दिये थे। जब माहौल शांत हुआ तो आज रात्रि मौका पाकर बेचने के लिए प्रयागराज ले जा रहे थे कि आप लोग अचानक आकर पकड लिए हैं। तीनों अभियुक्तों से अन्य घटना के बारे में कडाई/गहराई से पूछताछ की गयी तो तीनों एक स्वर में बताये कि एक गलती हमसे और हुई है, करीब डेढ़ महीने पहले रात्रि करीब 1 बजे के आसपास ग्राम मलावा छजईपुर में घर के सामने बंधी एक भैंस व पडिया चोरी करके इसी पिकप में लाटकर अजुआ बाजार कौशांबी ले जा रहे थे कि अचानक एक ग्राहक रास्ते में मिल गया उसी को भैंस व पडिया चालीस हजार रुपये में बेंच दिया था और हम तीनों लोगों ने मिलकर आपस में रास्ते का खर्चा काटकर बराबर बराबर रुपये बांट लिए थे। नागेन्द्र पिकप लेकर चला गया था तथा हम दोनों लोग अपने अपने घर चले गये थे। हम तीनों के पास से जो रुपये बरामद हुए है यह सब उसी भैंस व पडिया का बचा हुआ रुपये है। शेष रुपये खर्च हो गये हैं। फिर तीनों ने मिलकर योजनावद्ध तरीके से दिनांक 01/07/2026 की रात ग्राम कोडराजीत से एक भैंस व एक पडवाहवा चोरी किये थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
1. नागेन्द्र सरोज पुत्र धर्मेंद्र सरोज निवासी ग्राम कजियाना देवरपट्टी थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 23 वर्ष।
2. राहुल कुमार पुत्र राजू कुमार निवासी शिवनी का पुरवा, बिहार थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 22 वर्ष।

3. गुलशन कुमार सरोज पुत्र वंशीलाल सरोज निवासी फूलपुर देवरपट्टी थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 21 वर्ष।

बरामदगी-
01 राशि भैंस व 01 राशि पडवा व 01 अदद तमंचा नाजायज 315 बोर व 01 कारतूस 315 बोर व एक अदद वाहन पिकप बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 विकास प्रधान व उ0नि0 दिनेश कुमार मय हमराह का0 राकेश राय व का0 रोहित राम थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।